झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,

(कृषि प्रभाग)

पत्रांक–02/कृ0नि0/सुखाड़/41/2023–24 3532 /कृ0, राँची, दिनांक– 13.10.2023

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार,

झारखण्ड।

विषय : **राज्य में न्यून वर्षापात एवं अल्प फसल आच्छादन के फलस्वरूप राज्य के सभी जिलों में सुखाड़ आकलन हेतु Ground Truthing करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, राँची केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये दिनांक–31.08.2023 तक के वर्षापात के आंकड़ो के अनुसार झारखण्ड राज्य में 1 जुन से 31 अगस्त तक कुल सामान्य वर्षापात **798.8** मि0मी0 के विरूद्ध मात्र **503.9** मि0मी0 वर्षा **(63%)** हुई है। वर्षापात का कुल विचलन -37% है। न्यून वर्षापात के फलस्वरूप बहुत सारे प्रखण्डों में खरीफ फसल की रोपनी/बुआई लक्ष्य से बहुत कम हो पायी है, जिन क्षेत्रों में रोपनी/बुआई की गयी है, वहां भी अल्प वर्षापात के कारण फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तद्नुसार दिनांक– 31.08.2023 तक कुल खरीफ फसल आच्छादन 57.77% रहा जबकि समान्यतः 31 अगस्त तक खरीफ फसल का आच्छादन लगभग 90 % रहता है।

उक्त आलोक में Drought Manual 2016 (संशोधित 2020) के कंडिका–3.3.1 के अनुसार सुखाग्रस्त प्रखण्डों को चिन्हित करते हुए Drought Manual 2016 (संशोधित 2020) के कंडिका–3.2.6 के अनुरूप Trigger 2 स्थापित हो जाने के उपरांत एवं फसल कटनी के पूर्व Ground Truthing की प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। Trigger 2 में चिन्हित सभी प्रखंड़ों में Random आधार पर 10 प्रतिशत ग्रामों का चयन कर उन ग्रामों के पाँच स्थानों पर Ground Truthing संपन्न कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि Drought Manual 2016 (संशोधित 2020) के कंडिका–3.2.6 के उपरांकित प्रावधान अनुरूप आपके जिले में Trigger 1 के अनुसार Trigger 2 में चिन्हित प्रखंड़ों में Ground Truthing संपन्न कराते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय तथा एक प्रति विभाग को भी दी जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–02/कृ0नि0/सुखाड़/41/2023–24 3532 /कृ0, राँची, दिनांक 13.10.2023

प्रतिलिपिः सभी जिला कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः-02/कृ0नि0/सुखाड़/41/2023-24 3532 /कृ0, राँची, दिनांक 13.10.2023

प्रतिलिपिः सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः-02/कृ0नि0/सुखाड़/41/2023-24 3532 /कृ0, राँची, दिनांक 13.10.2023

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Format-C

Final report of District regarding Ground Truthing/Verification in the blocks declared in Trigger-2

Sl no	District	Name of Drought affected Blocks as per Trigger-2	Category of Blocks in Trigger 2 (Moderate/Severe)	Total number of Villages in Block	Total number of Villages Selected for Ground Truthing in affected Block (10% Villages of affected Block)	Total number of Selected Sites in Shortlisted Villages(5 sites of each Selected Village)	Number of Sites having crop loss between 33% to 50% (Moderate)	Number of Sites having crop loss More than 50% (Severe)	Category of Blocks as Per GT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									